केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 13.01.2020

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/11

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00220
CICOM/R/2019/00778

अपीलकर्ता : **श्री गिरीश कुमार सिन्हा,**
पुत्र - स्व0 बच्चू प्रसाद,
मो0 - संतर, वार्ड नं. 13,
लखीसराय, जिला - लखीसराय,
बिहार - 811311.

निर्णय की तारीख: 13.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	14.10.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	13.11.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.12.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	277/19.12.2019 (20355/16.12.2019)

आर.टी.आई. आवेदन का संक्षिप्त विवरण:-

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.10.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित द्वितीय अपील सं. CIC/SB/A/2016/000324 से संबंधित दिनांक 02.09.2018 के पत्र/आवेदन पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी ।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना:-
"उक्त आवेदन में आपने अपने पत्र दिनांक 02.09.2018 (जिसका डायरी नं. 143651/06.09.2018 था), पर अब तक की गई कार्यवाही की सूचना मांगी है । आपका उपरोक्त पत्र फाइल सं. CIC/SB/A/2016/000324 से संबंधित था । आयोग ने आदेश सं. CIC/SB/A/2016/000324 दिनांकित 12.08.2016 में प्रतिवादी पक्ष को कोई निर्देश जारी नहीं किया था इसलिए आपके पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी" ।

3. प्रथम अपील के तर्कसंगत निपटान के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एस. एस. रोहिला से टिप्पणी मांगी गई, जिसमें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने उल्लेख किया है कि:-

"The appellant vide his RTI dated 14.10.2019 (recd in the Commission/Registry on 24.10.2019) sought the action taken (till date) on his letter dated 02.09.2018 (Diary No. 143651) which was related to file No. CIC/SB/A/2016/000324. Above 2nd Appeal was heard and vide Commission's order dated 12.08.2016, no directions were given to the respondent authority which was informed (replied) to the Appellant. Now Appellant has filed the First Appeal".

9/C

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 13.11.2019 को प्रेषित की गई **सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

13/1/20

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 JAN 2020
D. No.........
Initials.........

P.T.O.

5 तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

(योगेश कुमार सिंघल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. एस. रोहिला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

13/01/2020